अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत विस्तार पर राष्ट्रीय सम्मेलन (पेसा)

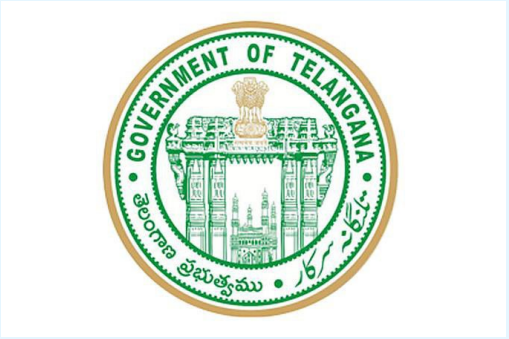

तेलंगाना सरकार

18.11.2021

तेलंगाना का जनजातीय प्रोफाइल	
कुल राज्य जनसंख्या (2011 की जनगणना)	350.05 लाख
कुल अनुसूचित जनजाति आबादी	31.78 लाख (9.08%)
अनुसूचित क्षेत्रों वाले जिले	9
अनुसूचित क्षेत्रों वाले मंडल/ब्लॉक • पूर्णत: • आंशिक रूप से	85 30 55
अनुसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायतें	1281
अनुसूचित क्षेत्र के गांव	1738
अनुसूचित क्षेत्र की बस्तियां	3765
अनुसूचित जनजाति समुदाय	32
पीवीटीजी	4(कोलम, चेंचू, थोटी, कोंडारेड्डी समुदाय)
आईटीडीए	4
अनुसूचित क्षेत्रों वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी	16.83 लाख (52.96%)
अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति की आबादी	14.95 लाख (47.04%)
तेलंगाना में साक्षरता	66.46%
तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति साक्षरता	49.80%

पेसा अधिनियम और नियम

- आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 को 1998 में पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।
- आंध्र प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा) नियम 2011 में अधिसूचित
- 2014 में तेलंगाना सरकार द्वारा अपनाया गया।
- तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018 भाग VII (धारा 252 - 260) पेसा के विशेष प्रावधान

ग्राम सभा का गठन और कार्यप्रणाली

- पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में 2011 में पेसा नियम जारी होने के बाद 2012 में ग्राम सभा गांवों को अधिसूचित किया गया था।
- 2019 में स्थानीय निकायों के चुनावों के बाद फिर से आदिवासी कल्याण आयुक्त, तेलंगाना ने पेसा ग्राम सभा गांवों (1738) को अधिसूचित किया।
- पहली ग्राम सभा उप तहसीलदार स्तर के अधिकारी की देखरेख में आयोजित की गई थी और उपाध्यक्ष और सचिव चुने गए हैं। (1738).
- सभी 1738 गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं।

जिलेवार पेसा गांव

क्र.सं.	जिला	मंडल/ब्लॉक	ग्राम पंचायतें	पेसा ग्राम सभा के गांव	पेसा गांवों में कवर किए गए हैब्स
1	आदिलाबाद	16	248	364	728
2	कोम्रामभीम- आसिफाबाद	13	162	204	580
3	मंचरियल	8	35	29	75
4	भद्राद्री कोठागुडम	21	454	587	1405
5	खम्मम	5	99	137	210
6	महबूबाबाद	5	102	143	329
7	मुलुगु	9	112	213	342
8	वारंगल	3	13	5	11
9	नगरकुरनूल	5	56	56	85
	योग	**85**	**1281**	**1738**	**3765**

शिक्षण और जागरूकता

- सभी पेसा जिलों के उप तहसीलदारों के संवर्ग में 174 अधिकारियों को 5 दिनों के लिए टीओटी के रूप में प्रशिक्षित किया गया था।
- टीओटी ने ग्राम सभाओं के उपाध्यक्षों और सचिवों के चुनाव की सुविधा के लिए पहली ग्राम सभा बैठकें आयोजित कीं।
- 1738 उपाध्यक्ष और सचिव चुने गए
- सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को पेसा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों पर दो चरणों में राज्य स्तर पर 3 दिनों के लिए और जिला स्तर पर 3 दिनों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- सभी हितधारक विभागों, पारंपरिक जनजातीय परिषदों के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम।

अब तक की यात्रा - पेसा

- तेलंगाना गांवों के व्यापक विकास के लिए तेलंगाना की एक प्रमुख योजना पल्ले प्रगति लागू की गई है।
- अंतराल विश्लेषण किया गया
- गांव के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं तैयार की गईं
- बुनियादी ढांचे के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम डंपिंग यार्ड
  - तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सोख्ता गड्ढे
  - वैकुंठ दमाम (श्मशान)
  - गांवों के समूह के लिए रायतुवेदिका और कृषि ग्राम विस्तार कार्यालय
  - पल्ले प्रकृति वानम
  - ग्राम नर्सरियां
  - ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर

గ్రామ పంచాయతి హరిత హారం నర్సరి

విజయలక్ష్మి నగర్ గ్రామపంచాయతి, ఎల్లందు మండలం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా

వైకుంఠ ధామం

నాగినేని ప్రోలు గ్రామపంచాయతీ, బూర్గంపాడు మండలం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా

డంపింగ్ యార్డ్/ చెత్త వేరుచేయు కేంద్రం

ముఖరా(కె) గ్రామపంచాయతీ, ఇచ్చోడ మండలం, ఆదిలాబాద్ జిల్లా

ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ/ఇంటింటి చెత్త సేకరణ

अब तक की यात्रा - पेसा

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष विकास निधि (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) अधिनियम 2017 का अधिनियमन।**
  - निम्नवत योजना प्रक्रिया
  - अग्रेसित प्रावधान
- सभी 1281 ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) अनुमोदित की गई हैं।
- राज्य ग्राम विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता के रूप में 15वें वित्त आयोग अनुदान के अनुरूप आनुपातिक हिस्सा जारी कर रहा है।

अब तक की यात्रा - पेसा

- (24) एमएफपी के रूप में अधिसूचित मदों को खरीद के लिए अनुमति दी जाती है जैसे रॉक बी हनी, गोंद-करया, नुक्सवोमिका, मोहवा फूल, मोहवा बीज, पुमगम बीज, साबुन नट्स, इमली आदि।
- बांस और बीड़ी के पत्तों की कटाई और निपटान वन विभाग द्वारा किया जाता है और निवल राजस्व ग्राम सभा के व्यक्तिगत सदस्यों को दिया जाता है।
- 18 एमएफपी सोसाइटियों का गठन किया गया है। एमएफपी के लिए एमएसपी जीसीसी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
- एफसीआरआई के सहयोग से वंदन दान विकास योजना के तहत लगभग 5100 एमएफपी संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- 2 सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एमएफपी संग्रहकर्ताओं के प्रकटन दौरे।

अब तक की यात्रा - पेसा

- शहद, मिर्च पाउडर और हल्दी, साबुन, शैंपू जैसे उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से मूल्य वर्धन किया जाता है और गिरि ब्रांड उत्पादों के माध्यम से कल्याणकारी संस्थानों और खुले बाजार में विपणन किया जाता है।
- कृषि उपज के सामूहिक सौदेबाजी और विपणन के लिए अनुसूचित जनजाति किसानों के साथ किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाते हैं।
- अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों में मछली पकड़ने के कार्यकलाप करने के लिए अनुसूचित जनजाति मछुआरा सहकारी समितियों का गठन किया गया है।
- मछली के बीज की आपूर्ति की जाती है और उपज में तेजी से वृद्धि होती है।
- अनुसूचित जनजाति के मछुआरों को मात्स्यिकी विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें मछली पकड़ने की इकाइयां प्रदान की जा रही हैं।

अब तक की यात्रा - पेसा

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अधिनियमित।
  - धारा 41 में शामिल पेसा गांवों के लिए विशेष प्रावधान
  - अनुसूचित क्षेत्रों में मुआवजा बाजार मूल्य का 2 गुना तय किया जाता है जबकि शेष राज्य में बाजार मूल्य का 1.5 गुना तय किया जाता है।
  - कारीगरों, छोटे व्यापारियों और अन्य लोगों को एकबारगी अनुदान 25,000/- रुपये होगा।
- नई रेत नीति 2016 जारी
  - अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में, रेत केवल अनुसूचित जनजाति सदस्यों को पट्टे पर दी जाती है। (नियम 9-बी (3))।
  - आईटीडीए के परियोजना अधिकारी अनुसूचित जनजाति सोसाइटियों को लीज होल्ड अधिकार प्रदान कर रहे हैं।

अब तक की यात्रा - पेसा

- दिनांक 01.10.2019 के जी.ओ.एम.एस.सं.109, राजस्व (पूर्व-द्वितीय) विभाग के अनुसार पेसा क्षेत्रों में सभी शराब की दुकानें केवल स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को दी जानी हैं।

- लाइसेंस प्रदान करने से पहले सभी पेसा बसावटों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं।

- 6 मंडलों में 50 ग्राम सभाओं ने शराब की दुकानें लगाने से इनकार कर दिया है।

अब तक की यात्रा - पेसा

- मात्स्यिकी विभाग 2011 के जीओ 74 में यह अधिदेश दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में मछली पकड़ने का अधिकार जनजातीय मछुआरा सहकारी समितियों के पास है।

- निजी बसावटों में गिरिपोषण योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 3-5 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से महिला समाख्याओं की पहचान की जाती है।

- मासिक धर्म चक्र के दौरान महिलाओं के अलगाव की प्रथा के खिलाफ पेसा ग्राम पंचायत के प्रस्तावों के परिणामस्वरूप मासिक धर्म हाइजीन में सुधार हुआ।

पेसा के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- जागरूकता
- अभिसरण अपेक्षित स्तर तक नहीं
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव ग्राम सभा में निहित है। लेकिन निधियों का हस्तांतरण आनुपातिक नहीं है।
- महिलाओं की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम है।
- 5 एजेंसी गांवों को नगर पालिकाओं के रूप में उन्नत किया गया है - पेसा का कार्यान्वयन नहीं

भावी राह

- अनुसूचित गांवों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है और इसलिए एजेंसी गांवों को नगर पालिकाओं के रूप में अपग्रेड किया गया है। एमईएसए का अधिनियमन एक तत्काल आवश्यकता है।
- निधियों का स्थानिक अंतरण भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है।
- सभी अनुसूचित गांवों में मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 200 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

धन्यवाद